न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सत्य नारायण-I (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 243/2022 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2022/199
दायर दिनांक :– 16.12.2022 निर्णय दिनांक :– 26.05.2026

01. अब्दुल हकीम पुत्र अमीन खां जाति सिन्धी मुसलमान निवासी जोड़ तहसील बाप जिला फलोदी

–वादी

बनाम

01. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता वादी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम हाजीनगर पटवार क्षेत्र जोड़ तहसील बाप में खसरा नम्बर 134 रकबा 60.6461 हैक्टेयर भूमि में से संलग्न नजरी नक्शा अनुसार रकबा 100–00 बीघा भूमि वादी के खातेदार अधिकारों कब्जा काश्त की स्थित है। वादग्रस्त भूमि पर वक्त भू–प्रबन्ध सेटलमेंट वादी के पूर्वजों का भू–प्रबन्ध से पूर्व से खसरा नम्बर 134 रकबा 60.6461 हैक्टेयर में से रकबा 100–00 बीघा भूमि ग्राम खीरवा पर कब्जा व काश्त होते भू–प्रबन्ध कर्मचारियों व राजस्व कर्मचारियों द्वारा वादी के पूर्वजों के कब्जा व काश्त की जांच किये बिना उक्त वादग्रस्त भूमि राजस्व अभिलेख में वादी के पूर्वजों के नाम दर्ज नहीं कर खसरा नम्बर 134 में गलत शामिल कर दी गई। वादी के पूर्वजों का उतरोतर उनकी मृत्यु पर्यन्त और उसके बाद से वादी का वादग्रस्त भूमि रकबा 100–00 बीघा पर कब्जा व काश्त चला आ रहा है, वादी का वादग्रस्त भूमि में बारह मासी निरन्तर रहवास है तथा हर वर्ष काश्त काश्त कर व प्राकृतिक पैदावार प्राप्त कर उसका उपयोग व उपभोग व अपने परिवार का भरण पोषण करते आ रहे है। वादीगण ग्राम हाजीनगर के खसरा नम्बर 134 रकबा 60.6461 हैक्टेयर में से 100–00 बीघा भूमि के खातेदार अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादी पैरोकार सरकार ने जवाब दावा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार ने जवाब में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 134 रकबा 60.6461 हैक्टेयर ग्राम हाजीनगर पटवार हल्का जोड़ तहसील बाप में स्थित है। उक्त भूमि पटवारी रिपोर्ट अनुसार मौके पर वादी ने खूंटे रोपकर तारबन्दी कर रखी है तथा तीन पक्के मकान बना रखे है जिसकी अतिक्रमण की कार्यवाही प्रस्तावित है। वादी का कब्जा सरकारी भूमि पर होने से वादी का वाद काबिल खारिज के है।

प्रतिवादी की और से वाद का विरोध होने से तनकीयात निम्नानुसार कायम की गयी।

Satya..

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

1. आया वादीगण ग्राम हाजीनगर तहसील बाप के खसरा नम्बर 134 रकबा 100–00 बीघा भूमि पर वादी का वादपत्र में संलग्न नजरी नक्शा अनुसार कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है। नजरी नक्शा अनुसार खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का हकदार है?

(जिम्मे वादी)

2. आया वादीगण वादग्रस्त भूमि पर विपरित कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का हकदार है ?

(जिम्मे वादी)

3. आया वादी विपरित कब्जे के आधार पर प्रतिवादी के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के हकदार है?

(जिम्मे वादी)

4. आया प्रतिवादी वादी विपरित कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारों को प्राप्त करने का हकदार नहीं है ?

(जिम्मे प्रतिवादी)

5. आया वादी विपरित कब्जे के आधार प्रतिवादी के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार नहीं है?

(जिम्मे प्रतिवादी)

6. दादरसी?

वादी ने अपने वाद के समर्थन में निम्न गवाहन पेश किये। PW-I अब्दुल हकीम पुत्र अमीन वर्तमान जमाबंदी प्रदर्श–1 बयान कलमबद्व कर शामिल पत्रावली किये गये। पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुऐ कहा कि कि ग्राम हाजीनगर पटवार क्षेत्र जोड़ तहसील बाप में खसरा नम्बर 134 रकबा 60.6461 हैक्टेयर भूमि में से रकबा 100–00 बीघा भूमि वादी के खातेदारी अधिकारों कब्जा काश्त की स्थित है। वादग्रस्त भूमि पूर्व वक्ता भू–प्रबन्ध सेटलमेंट वादी के पूर्वजों का भू–प्रबन्ध से पूर्व से खसरा नम्बर 134 रकबा 60.6461 हैक्टेयर में से रकबा 100–00 बीघा भूमि ग्राम हाजीनगर पर कब्जा व काश्त होते भू–प्रबन्ध कर्मचारियों व राजस्व कर्मचारियों द्वारा वादी के पूर्वजों के कब्जा व काश्त की जांच किये बिना उक्त वादग्रस्त भूमि राजस्व अभिलेख में वादी के पूर्वजों के नाम दर्ज नहीं कर खसरा नम्बर 134 में गलत शामिल कर दी गई। वादी के पूर्वजों का उतरोतर उनकी मृत्यु पर्यन्त और उसके बाद से वादीगण का वादग्रस्त भूमि रकबा 100–00 बीघा पर कब्जा व काश्त चला आ रहा है, वादीगण का वादग्रस्त भूमि में बारह मासी निरन्तर रहवास है तथा हर वर्ष काश्त काश्त कर व प्राकृतिक पैदावार प्राप्त कर उसका उपयोग व उपभोग व अपने परिवार का भरण पोषण करते आ रहे है। वादी ग्राम हाजीनगर के खसरा नम्बर 177 रकबा 60.6461 हैक्टेयर में से 100–00 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का आदेश फरमावे।

अधिवक्ता वादी एवं पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी, नक्शा ट्रैस, खसरा गिरदावरी, पैरोकार सरकार का जवाब इत्यादि का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण का निर्णय तनकीवार निम्नानुसार है:–

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

तनकी नम्बर 1 आया वादी ग्राम हाजीनगर तहसील बाप के खसरा नम्बर 134 रकबा 100–00 बीघा भूमि पर वादी का वाद पत्र में संलग्न नजरी नक्शा अनुसार कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है। नजरी नक्शा अनुसार खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का हकदार है?

(जिम्मे वादी)

तनकी नम्बर 1 निर्णय इस प्रकार है ग्राम हाजीनगर के खसरा नम्बर 134 रकबा 60.6461 हैक्टेयर भूमि वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 206 अनुसार राजकीय सिवायचक भूमि है। जिसमें वादी अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है जो तहसीलदार बाप के जवाब से साबित है। वादी ने अपने वाद को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है। उक्त तनकी प्रतिवादी के पक्ष में वादी के विरूद्व निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 2 आया वादी विपरित कब्जे के आधार पर खतोदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी है ?

(जिम्मे वादी)

तनकी नम्बर 2 का निर्णय इस प्रकार है कि वादी ने अपने वाद पत्र मे कथन किया है कि वादी वादग्रस्त भूमि को विपरित कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाना चाहते है। राजकीय सिवायचक भूमि पर विपरित कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। उक्त तनकी प्रतिवादी के पक्ष में वादी के विरूद्व निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 3 आया वादी विपरित कब्जे के आधार पर प्रतिवादी के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार है।

(जिम्मे वादी)

तनकी नम्बर 3 निर्णय इस प्रकार है कि तनकी नम्बर 1 व 2 वादी के विरूद्व निर्णित की जा चुकी है। वादी वादग्रस्त आराजी पर अतिक्रमी है इसलिए स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार नहीं है। उक्त तनकी प्रतिवादी के पक्ष में वादी के विरूद्व निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 4 आया वादी विपरित कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का हकदार नहीं है ?

(जिम्मे प्रतिवादी)

तनकी नम्बर 4 का निर्णय इस प्रकार है कि तनकी नम्बर 1 ता 3 को साबित करने का भार वादी पर था। तनकी नम्बर 1 ता 3 को साबित करने में वादी विफल रहा है तथा उक्त तनकी प्रतिवादी के पक्ष में और वादी के विरूद्व निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 5 आया वादी विपरित कब्जे के आधार प्रतिवादी के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार नहीं है।

तनकी नम्बर 5 का निर्णय इस प्रकार है कि तनकी नम्बर 1 ता 3 को साबित करने का भार वादी पर था। तनकी नम्बर 1 ता 3 को साबित करने में वादी विफल रहा है तथा उक्त तनकी प्रतिवादी के पक्ष में और वादी के विरूद्व निर्णित की जाती है।

Satya..

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

तनकी नम्बर 6 दादरसी चूंकि तनकी नम्बर 1 ता 3 वादी के विरूद्व निर्णित की जा चुकी है। तनकी नम्बर 3 व 4 प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जा चुकी है। इसलिए वाद वादी स्वीकार योग्य नहीं होने एवं खारिज योग्य होने से खारिज किया जाता है।

आदेश

वाद वादी स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। खारजी का डिक्री पर्चा भरकर अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.05.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
सत्यमेव जयते
बाप, जिला फलोदी (राज.)

(सत्य [illegible] S.)
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप

बइजलास पीठासीन अधिकारी सत्य नारायण-I (आर.ए.एस.)

01. अब्दुल हकीम पुत्र अमीन खां जाति सिन्धी मुसलमान निवासी जोड़ तहसील बाप जिला फलोदी

—वादी

बनाम

01. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

—प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मुकदमा संख्या :— 243/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सत्य नारायण—I पीठासीन अधिकारी व हाजिर राजेन्द्रसिंह सोंलकी मिनजानिब मुदई व पैरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वाद वादी स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। नीचे

मुतालिक	बाबत्
खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर वसूल याबी तक	फीस सदी सालाना आज की तारीख को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26.05.2026 को जारी की गई।

Satya...

(सत्य नारायण—I R.A.S.)
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मिजान			स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प अर्जी मेहनताना वकील खर्चा वाहन फीस कमीश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुत्फरिक मिजान		

नोट :— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।